



के आधार पर
अलीगढ़ विकास प्राधिकरण, अलीगढ़
द्वारा संचालित
आवासीय योजनाओं में रिक्त भवन पाने का स्वर्णिम अवसर

पंजीकरण ऑनलाईन बेवसाइट **URL:janhit.upda.in** पर

दिनांक 24.09.2025 से 08.10.2025 तक

किया जा सकता है।

1. योजना का विवरण :-

1. जी0टी0 रोड स्थित ऐलमपुर, आगरा रोड/पला रोड स्थित विकास नगर एवं मा0 कांशीराम नगर, बृज विहार आवासीय योजना अलीगढ़ में “**पहले आओ-पहले पाओ**” तथा **सम्पत्ति जहाँ है जैसी है**, के आधार पर प्राधिकरण द्वारा निर्मित EWS/LIG दो/तीन मंजिले आदि भवन (फ्लैट) के आवंटन हेतु ऑनलाइन वेबसाइट (www.janhit.upda.in) पर आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। यह योजना **दिनांक 24.09.25 समय साय: 05:00 बजे से दि0-08.10.25 तक** प्रभावी होगी।
2. “**पहले आओ-पहले पाओ तथा सम्पत्ति जहाँ है जैसी है**” के आधार पर आवंटन किया जायेगा।
3. योजना के अन्तर्गत विक्रय हेतु उपलब्ध भवनों का विवरण भवनों की श्रेणी/क्षेत्रफल, स्थिति, अनुमानित मूल्य सहित परिशिष्ट-01 एवं 02 में उपलब्ध है।
4. भवनों की संख्या, स्थिति, क्षेत्रफल तथा दर्शाया गया मूल्य अनुमानित है। इसमें किसी समय संशोधन हो सकता है, जो आवेदक/आवंटी को मान्य होगा।

2. भवनों की संख्या :-

भवनों की संख्या का विवरण परिशिष्ट-01 से 02 में दर्शाया गया है। भवनों की संख्या अनुमानित है, जिसमें बिना किसी पूर्व सूचना के परिवर्तन किया जा सकता है। लगातार आवंटन के फलस्वरूप भवनों की संख्या निरन्तर घट रही है।

3. भवनों का मूल्य :-

भवनों के मूल्य का विवरण परिशिष्ट-01 एवं 02 में दर्शाया गया है।

4. आवेदन हेतु पात्रता :-

- (क) आवेदक की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिये तथा आवेदक भारत का नागरिक हो।
- (ख) सम्पत्ति के आवंटन हेतु केवल पति-पत्नी ही संयुक्त रूप से आवेदन कर सकते हैं अन्य कोई संयुक्त आवेदन-पत्र स्वीकार न होगा।
- (ग) दुर्बल आय वर्ग भवन हेतु आवेदक की आय अधिकतम रू0 3,00,000.00 प्रति वर्ष हो (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र पंजीकरण खुलने से 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- (घ) LIG (अल्प आय वर्ग) श्रेणी के आवेदकों की वार्षिक आय रू0-3.00 लाख से 6.00 लाख तक प्रति वर्ष हो (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र पंजीकरण खुलने से 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।)

5. आवेदन की प्रक्रिया :-

1. सम्पत्ति के आवंटन हेतु पंजीकरण कराने से पूर्व योजना स्थल पर सम्पत्ति देखना आवश्यक है।
2. आवेदन-पत्र प्राधिकरण की वेबसाइट (www.janhit.upda.in) के माध्यम से ऑनलाइन लिये जायेंगे। अधूरे आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। सम्पत्ति का विवरण ऑनलाइन वेबसाइट www.adaaligarh.in पर देखा जा सकता है।
3. योजना की अन्तिम तिथि के बाद आवेदन पत्र में पते में संशोधन के अतिरिक्त और किसी भी प्रकार का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।
4. भवन आवंटन हेतु ऑनलाइन आवेदन फार्म के साथ परिशिष्ट में अंकित पंजीकरण धनराशि ऑनलाइन आवेदन के समय अथवा ऑफलाइन बैंक में नकद/ड्राफ्ट (जो उपाध्यक्ष अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के पक्ष में देय हो) जमा करना होगा। पंजीकरण धनराशि भवन आवंटन के उपरान्त मूल्य में समायोजित कर ली जायेगी।
5. आवेदन करते समय आवेदन पत्र के साथ **रु0 100/- फॉर्म चार्ज** के रूप में अतिरिक्त जमा करना होगा।
6. आवेदक को ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट साईज का नवीनतम स्पष्ट फोटोग्राफ संलग्न करना आवश्यक होगा तथा आधार कार्ड, कैंसिल चैक/बैंक पासबुक अपलोड करना होगा। पंजीकरण के समय परिशिष्ट-3 पर संलग्न प्रारूप पर स्वप्रमाणित आय प्रमाण देना अनिवार्य है तथा पंजीकरण खुलने से एक माह के अन्दर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा अन्यथा आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा। ई0डब्लू0एस0 भवनों के आवेदकों को छोड़कर अन्य सभी आवेदकों को पैन कार्ड भी ऑनलाइन अपलोड करना आवश्यक होगा।
7. आवेदन पत्र अपूर्ण होने पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. आवेदन संयुक्त नामों से नहीं किया जा सकता। आवंटी मृत्यु आदि की दशा में पंजीकरण/आवंटन का हस्तान्तरण पति/पत्नी अथवा रक्त सम्बन्धी अथवा वैध उत्तराधिकारी के नाम ही किया जा सकेगा।
9. यदि कोई पंजीकृत संस्था अथवा कम्पनी अपने स्टॉफ आदि के लिए एक से अधिक भवन क्रय करना चाहती है, तो ऐसी स्थिति में एक से अधिक भवन आवंटित किये जा सकते हैं।

6. पंजीकरण राशि एवं पंजीकरण शुल्क :-

परिशिष्ट 01 एवं 02 में दर्शायी गयी पंजीकरण धनराशि का भुगतान आवेदन के समय ऑनलाइन जनहित वेबसाइट के माध्यम से अथवा ऑफलाइन नकद/बैंक ड्राफ्ट के द्वारा अलीगढ़ विकास प्राधिकरण की कैनरा बैंक, शाखा रामघाट रोड, अलीगढ़ के खाते में जमा करना होगा।

7. आरक्षण :-

भवनों का पंजीकरण “पहले आओ-पहले पाओ तथा सम्पत्ति जहाँ है जैसी है” के आधार पर

खोला गया है, इसके अन्तर्गत किसी भी जाति, धर्म के व्यक्ति आवेदन कर प्राथमिकता पर भवन का आवंटन करा सकते हैं। इस आधार पर मूल्य में किसी भी प्रकार की छूट दिये जाने का प्राविधान नहीं है।

8. आवंटन प्रक्रिया :-

1. योजना में आवासीय भवनों के आवंटन हेतु "पहले आओ पहले पाओ तथा सम्पत्ति जहाँ है जैसी है" के आधार पर ऑनलाइन नियमानुसार प्राप्त आवेदन पत्र की जाँच के बाद पंजीकरण धनराशि (10 प्रतिशत) जमा की पुष्टि होने के उपरान्त तत्काल भवन का आरक्षित पत्र, जिसमें 15 प्रतिशत धनराशि को एक माह के अन्दर जमा करने के साथ-साथ शेष 75 प्रतिशत धनराशि को जमा करने हेतु विकल्प प्रदान किया जायेगा, जिसमें आवंटी 75 प्रतिशत का भुगतान एक मुश्त अथवा किश्तों के माध्यम से कर सकता है। आवंटी द्वारा 15 प्रतिशत धनराशि का भुगतान करने के पश्चात् ही आवंटन पत्र जारी किया जायेगा। ससमय धनराशि का भुगतान न करने पर अतिरिक्त दण्ड ब्याज सहित भुगतान करने पर ही आवंटन पत्र जारी किया जायेगा।

पंजीकरण धनराशि (10 प्रतिशत)	आवंटन धनराशि (15 प्रतिशत)	शेष 75 प्रतिशत धनराशि
उपरोक्त के भुगतान पर आरक्षित पत्र जारी किया जायेगा।	उपरोक्त के भुगतान के पश्चात् आवंटन पत्र जारी किया जायेगा।	किश्तों अथवा एक मुश्त भुगतान के आधार पर निर्गत किया जायेगा।

2. भवनों की विज्ञप्ति संख्या, स्थिति, क्षेत्रफल तथा दर्शाया गया मूल्य अनुमानित है। इसमें किसी समय संशोधन हो सकता है, जो आवेदक/आवंटी को मान्य होगा।

9. भुगतान प्रक्रिया :-

1. आवेदन पत्र के साथ परिशिष्ट में अंकित पंजीकरण धनराशि तथा रू0 100/- फॉर्म चार्ज ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा। पंजीकरण धनराशि भवन आवंटन के उपरान्त मूल्य में समायोजित कर ली जायेगी।
2. भवन के मूल्य की ई0डब्लू0एस0 प्लैट के लिए 15% धनराशि तथा एल0आई0जी0 भवन के लिए 15% धनराशि आरक्षित पत्र के निर्गत होने से तीस दिन की अवधि में जमा करनी होगी, विलम्ब से जमा करने पर आरक्षित की तिथि से 15% दण्ड ब्याज देय होगा।
3. भवन/प्लैट हेतु भवन के मूल्य की 25% धनराशि जमा होने के उपरान्त लीजरेन्ट 10 प्रतिशत जमा कर तथा लीज एग्रीमेन्ट निष्पादित कर कब्जा प्राप्त किया जा सकेगा।

10. किश्तों में भुगतान करने की प्रक्रिया :-

1. एल0आई0जी0 भवनों के मूल्य की अवशेष 75% धनराशि 12% ब्याज सहित 05 वर्ष की 20 तिमाही किश्तों में निर्धारित समय तक जमा करानी होगी। ई0डब्लू0एस0 भवनों के प्रकरण में अवशेष 75% धनराशि 10% ब्याज के साथ 10 वर्ष में 120 मासिक किश्तों में जमा करनी

होगी।

2. किस्तों आदि का भुगतान केनरा बैंक, ए0डी0ए0 शाखा, के खाता सं0-85142010027861 रामघाट रोड, अलीगढ़ में जमा कराना होगा।

11. एक मुश्त भुगतान पर छूट :-

1. भवन का आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 90 दिन के अन्दर एक मुश्त भुगतान किये जाने पर मूल्य में 2 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी, इसके पश्चात् भुगतान करने पर नियमानुसार ब्याज देय होगी।
2. आवंटी किस्तों के माध्यम से भुगतान करना चाहता है अथवा एक मुश्त भुगतान करना चाहता है के संबंध आरक्षित पत्र प्राप्त होने के उपरान्त एक माह के अन्दर प्राधिकरण को सूचित करना होगा। यदि किसी आवंटी द्वारा आरक्षित पत्र प्राप्त होने के उपरान्त भुगतान के विकल्प के संबंध में प्राधिकरण को सूचित नहीं किया जाता है तो स्वतः किस्तों के माध्यम से आवंटन पत्र जारी कर दिया जायेगा। किस्तों से विचलन स्वीकार नहीं होगा।

12. विक्रय पद्धति :-

एक मंजिले से अधिक मंजिल के भवनों/पलैटों का आवंटन लीज-होल्ड के आधार पर किया जायेगा। लीजरेन्ट भूमि मूल्य का 10% कब्जा/रजिस्ट्री से पूर्व जमा करना होगा। कॉर्नर सम्पत्ति पर भूमि मूल्य का 10% अतिरिक्त चार्ज देय होंगे।

13. पट्टा विलेख/विक्रय विलेख :-

पलैट/भवन की सम्पूर्ण धनराशि, लीजरेन्ट, पानी सीवर कनेक्शन चार्ज, डोक्यूमेन्ट चार्ज आदि देयता जमा करने एवं समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराकर आवंटी को अपने खर्चे पर निर्धारित स्टाम्प पेपर एवं प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रारूप पर तीन महीने के अन्दर पट्टा विलेख/विक्रय विलेख निष्पादित कराना होगा। लीजहोल्ड सम्पत्ति के संबंध में केवल 10% लीजरेन्ट भवन में प्रयुक्त भूमि के समानुपातिक मूल्य पर देय होगा। यदि निर्धारित अवधि में पट्टा विलेख निष्पादित नहीं कराया जाता है तो भवन का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा। यदि पट्टा अनुबन्ध निष्पादित कराकर कब्जा प्राप्त किया जाता है, तो पट्टा अनुबन्ध के पूर्व लीजरेन्ट, पानी सीवर कनेक्शन चार्ज, डोक्यूमेन्ट चार्ज आदि देयता जमा करनी होगी।

14. कब्जा :-

1. ई0डब्लू0एस0/एल0आई0जी0 पलैट का भौतिक कब्जा कुल मूल्य की 25% धनराशि, लीजरेन्ट एवं अन्य शुल्क आदि जमा करवाने तथा नियमानुसार पट्टा अनुबन्ध पंजीयन के बाद प्राप्त किया जा सकेगा अथवा सम्पूर्ण धनराशि जमा कराने के पश्चात् पट्टा विलेख निष्पादन के उपरान्त ही कब्जा प्राप्त किया जा सकेगा।
2. आवंटी विद्युत कनेक्शन सम्बन्धित विभाग से अपने खर्चे पर स्वयं लेगा तथा भवन का गृह कर, जलकर आदि नगर निगम द्वारा निर्धारित दर पर जमा करना होगा।
3. प्राधिकरण की बिना अनुमति लिये भवन में कोई रद्दो बदल मान्य नहीं होगी।

15. भवनों का उपयोग :-

आवंटी को भवनों के आवासीय उपयोग की ही अनुमति होगी, अन्य किसी उपयोग की नहीं। यदि आवंटी द्वारा भवन का उपयोग आवासीय के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन हेतु किया जाता है तो आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा और बेदखली की कार्यवाही की जायेगी।

16. समर्पण / निरस्तीकरण :-

1. यदि किसी आवेदक द्वारा आवंटित भवन का समर्पण आवंटन पत्र की तिथि के 6 माह के अन्दर किया जाता है तथा नियम शर्तों का उल्लंघन नहीं करता है, तो उस स्थिति में पंजीकरण राशि की 20% धनराशि कटौती कर शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।
2. आवंटन तिथि के 6 माह के पश्चात किसी भी प्रकार के समर्पण / निरस्तीकरण की दशा में भवन की कुल पंजीकरण धनराशि जब्त कर ली जायेगी और शेष धनराशि यदि कोई हो तो शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।
3. भवनों की किश्तें आरम्भ हो जाने के पश्चात् न्यूनतम तीन किस्तों की अदायगी समय से न किये जाने की दशा में भवन का आवंटन बिना कारण बताये एवं बिना नोटिस दिये निरस्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त नियम के अनुसार कटौती कर शेष धनराशि आवेदक को वापस कर दी जायेगी।
4. प्राधिकरण द्वारा अपनी किसी चूक या सम्पत्ति विवादित होने के कारण आवंटी के पक्ष में सम्पत्ति की रजिस्ट्री / कब्जा की कार्यवाही नहीं हो पाती है तो ऐसी स्थिति में आवंटी द्वारा अपनी जमा धनराशि वापस लेने की मांग की जाती है तो आवंटी की जमा धनराशि बिना किसी कटौती के 4 प्रतिशत साधारण ब्याज सहित वापस कर दी जायेगी।

17. असफल आवेदक :-

1. जिन आवेदकों को किसी कारणवश भवन आवंटित नहीं हो पाते हैं ऐसे आवेदकों को आवेदन की तिथि से 3 माह के भीतर धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी। एक वर्ष से अधिक अवधि के पश्चात जमा की तिथि से 04% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज देय होगा। ब्याज की गणना उक्त तिथि से रिफण्ड हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने की तिथि के पिछले माह की अन्तिम तिथि तक की जायेगी।

18. अन्य सूचनायें :-

1. योजना के अन्तर्गत विक्रय हेतु उपलब्ध भवनों का विवरण क्षेत्रफल, अनुमानित मूल्य परिशिष्ट-1 में वर्णित अन्य जानकारी प्राधिकरण के सचिव / प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति से उनके कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।
2. आवेदक को पट्टा विलेख / पट्टा अनुबन्ध में उल्लिखित सभी शर्तें स्वीकार होंगी एवं भविष्य में अनुपालन करना होगा।
3. प्राधिकरण ऐसी किसी धनराशि पर ब्याज के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जो बैंक अथवा जमाकर्ता की त्रुटि से प्राधिकरण के खातों में जमा नहीं हुई हो।
4. आवेदकों से अपेक्षा है कि वे आवंटन से पूर्व भवनों का निरीक्षण अवश्य कर लें। आवंटन होने के उपरान्त किसी प्रकार की गुणवत्ता, विकास कार्य आदि के सम्बन्ध में कोई विवाद स्वीकार नहीं किया जायेगा।
5. आवेदक द्वारा किसी कारणवश आवंटन स्वीकार न कर धन वापसी की मांग किये जाने पर पूर्व में वर्णित समर्पण / निरस्तीकरण की शर्तों के अनुसार कटौती करने के उपरान्त जमा

- धनराशि यदि हो तो वापिस की जायेगी। ऑनलाइन आवेदन शुल्क ₹0 100/- किसी भी दशा में वापिस नहीं किया जायेगा।
6. आवेदन उपरान्त पते में परिवर्तन की दशा में आवेदन पत्र की संख्या/आवंटित भवन का विवरण सहित सूचना आवेदक/आवंटी द्वारा सचिव/सम्पत्ति अधिकारी अलीगढ़ विकास प्राधिकरण को देनी होगी। मूल आवेदन में पता गलत/अपूर्ण अंकित होने अथवा संशोधन समय से सूचित न करने की दशा में प्राधिकरण द्वारा किये गये पत्राचार की जानकारी के अभाव में आवेदक/आवंटी को होने वाली क्षति के लिए प्राधिकरण उत्तरदायी नहीं होगा।
 7. आवंटन होने के उपरान्त किसी भी स्तर पर यदि भविष्य में सक्षम न्यायालय द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम की धारा-18 व अन्य धारकों में प्रतिकर की धनराशि बढ़ायी जाती है तथा सक्षम न्यायालय द्वारा प्रतिकर राशि उपरोक्तानुसार बढ़ाने के पश्चात भूमि अर्जन अधिनियम की धारा-28(ए) के तहत कलेक्टर द्वारा सम्बन्धित अधिसूचना से सम्बद्ध अन्य कृषकों की भूमि दर बढ़ाये जान की स्थिति में उपरोक्त भवन का मूल्य बढ़ता है तो बढ़ा मूल्य आवेदक/आवंटी द्वारा प्राधिकरण में जमा कराना होगा।
 8. यदि किसी समय यह पाया गया कि आवेदक ने गलत सूचनाएं देकर अथवा तथ्यों का छिपाकर आवेदन किया है अथवा आवंटन/कब्जा आदि प्राप्त कर लिया है तो बिना बताए आवंटन निरस्त करते हुए आवेदक/आवंटी द्वारा जमा की गयी पंजीकरण धनराशि को शत-प्रतिशत जब्त करते हुए शेष जमा धनराशि यदि कोई हो तो बिना ब्याज के वापिस कर दी जायेगी।
 9. आवेदन प्रक्रिया, आवंटन, धन वापसी आदि किसी भी विषय में विवाद पर उपाध्यक्ष, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण, अलीगढ़ का निर्णय अन्तिम होगा। उन्हें अपने विवेकानुसार इस पुस्तिका में उल्लिखित शर्तों में अथवा अन्य किसी स्थान पर एतद विषयक वर्णित किसी भी शर्त/नियम को शिथिल/ संशोधित करने का अधिकार होगा, जो कि आवेदक/आवंटी को मान्य होगा।
 10. आवंटि, भवन का सम्पूर्ण मूल्य एवं अन्य देय शुल्क आदि का भुगतान करने तथा विक्रय विलेख/पट्टा विलेख निष्पादित कराने से पूर्व किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरण नहीं कर सकेगा।
 11. आवंटन तक इस योजना की किसी भी शर्त में संशोधन का अधिकार अलीगढ़ विकास प्राधिकरण को होगा तथा ऐसे संशोधन आवेदकों/आवंटियों को मान्य होंगे।
 12. शासन/प्राधिकरण के समय-समय पर जो आदेश/नियम प्रभावी होंगे वह इस योजना के आवंटियों पर भी लागू होंगे।
 13. इस योजना से सम्बन्धित प्रत्येक मामले पर उपाध्यक्ष महोदय का निर्णय अंतिम/मान्य होगा। किसी भी विवाद की दशा में अलीगढ़ की स्थानीय कोर्ट को ही अधिकार क्षेत्र प्राप्त होगा।

सम्पत्ति लिपिक

सम्पत्ति अधिकारी

विशेष कार्याधिकारी

सचिव

अलीगढ़ विकास प्राधिकरण, अलीगढ़।

परिशिष्ट-01

प्रथम आओ-प्रथम पाओ तथा सम्पत्ति जहाँ है जैसी है, के आधार पर आवंटन हेतु रिक्त सम्पत्ति का विवरण

(पंजी0 ऑनलाईन दि. 24.09.2024 से 08.10.2024 तक खुला है)

क्र० सं०	योजना का नाम	भवनों की श्रेणी व भवन संख्या	कीमत	कुल भवन
1.	2	3	4	5
2.	आगरा रोड स्थित विकास नगर योजना	EWS D/S भूतल- 33, 63, 83, 141, 143, 205, 243, 261, 331, 341, 343, 353, 357, 375, 379, 383, 417, 451 प्रथम तल- 34, 36, 40, 58, 60, 66, 102, 154, 156, 160, 164, 166, 180, 252, 256, 276, 354, 358, 362, 366, 370, 392, 406, 408, 414, 418, 422, 424, 426, 428, 432, 450, 452, 458, 460, 462	भूतल रु०-10,44,700 प्र०तल रु०-7,80,400	54
3.	बृज विहार योजना	LIG D/S भूतल- 3, 5 प्रथम तल- 46 EWS D/S सं०-23 भूतल	भूतल रु०-7,93,000 प्र०तल रु०-6,61,000 भूतल रु०-4,79,900	03 01
4.	पलारोड स्थित मा. कांशीराम नगर योजना	EWS D/S भूतल-45, 57 प्रथम तल-50, 52	भूतल रु०-9,61,700 प्र०तल रु०-7,31,300	4
5.	जी०टी०रोड स्थित ऐलमपुर योजना	EWS (तीनमंजिले) भवन भूतल-25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 प्रथम तल-101, 102, 103, 106, 110, 113, 114, 116, 119, 121, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148. द्वितीय तल-201, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248.	भूतल रु०-8,20,800 प्र०तल रु०-7,02,900 द्वि.तल रु०-7,32,400	102
			कुल भवन	164

परिशिष्ट-02

प्राधिकरण की संचालित आवासीय योजनाओं में प्रथम आओ-प्रथम पाओ तथा जहाँ है-जैसा है, के आधार पर इच्छुक आवेदकों के लिए दि. 24.09.2025 से दि. 08.10.2025 तक रिक्त भवनों के आवंटन हेतु ऑन लाईन पंजीकरण का विवरण :- बेवसाइट : URL: janhit.upda.in

क्रमक	योजना का नाम/ सम्पत्ति की श्रेणी	भवन निर्माण की स्थिति	सम्पत्ति की सं०	अनुमानित क्षेत्रफल (प्लॉट ऐरिया / कवर्ड ऐरिया वर्गमी०में)	कीमत प्रति भवन (रु० में)	पंजीकरण धनराशि (कीमत का 10 प्रतिशत)	किस्तों एवं भुगतान का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बृज विहार योजना LIG D/S भवन	दोमंजिले मकान (दोकमरा, किचिन, वाथरूम,लैट्रिन	03	60 / 36	भूतल-7,93,000 प्रथमतल-6,61,000	79,300 66,100	15% आवंटन के 01 माह के अन्दर एवं शेष 75% 5 वर्ष की 20 समान तिमाही किस्तों में 12% साधारण ब्याज सहित प्रति किस्त भूतल-रु०-39,977.00 प्रथम तल-रु०-33,323.00
	बृज विहार योजना EWS D/S भवन	दोमंजिले मकान (एक कमरा, किचिन, वाथरूम,लैट्रिन	01	30 / 22	भूतल-4,79,900 प्रथमतल-4,14,500	47,990 41,450	15% आवंटन के 01 माह के अन्दर एवं शेष 75% 10 वर्ष की 120 समान मासिक किस्तों में 10% साधारण ब्याज सहित प्रति किस्त-भूतल-रु०-04,757.00 प्रथम तल-रु०-04,109.00
2.	आगरा रोड स्थित विकास नगर योजना EWS D/S भवन	दोमंजिले मकान (एक कमरा, किचिन, वाथरूम,लैट्रिन	54	30 / 22	भूतल-10,44,700 प्रथमतल-7,80,400	1,04,470 78,040	15% आवंटन के 01 माह के अन्दर एवं शेष 75% 10 वर्ष की 120 समान मासिक किस्तों में 10% साधारण ब्याज सहित प्रति किस्त भूतल-रु०-10,355.00 प्रथम तल-रु०-07,735.00
3.	पला रोड स्थित मा० कांशीराम नगर योजना	दोमंजिले मकान (एक कमरा, किचिन, वाथरूम,लैट्रिन	04	30 / 22	भूतल-9,61,700 प्रथमतल-7,31,300	96,170 73,130	15% आवंटन के 01 माह के अन्दर एवं शेष 75% 10 वर्ष की 120 समान मासिक किस्तों में 10% साधारण ब्याज सहित प्रति किस्त भूतल-रु०-9,536.00 प्रथम तल-रु०-7,249.00
4.	जी०टी०रोड स्थित ऐलमपुर योजना	तीन मंजिले मकान (एक कमरा, किचिन, वाथरूम,लैट्रिन	102	30 / 22	भूतल-8,20,800 प्रथमतल-7,02,900 द्वितीय तल-7,32,400	82,080 70,290 73,240	15% आवंटन के 01 माह के अन्दर एवं शेष 75% 10 वर्ष की 120 समान मासिक किस्तों में 10% साधारण ब्याज सहित प्रति किस्त भूतल-रु०-8,136.00 प्रथम तल-रु०-6,967.00 द्वितीय तल-रु०-7,260.00
		कुल योग-	164				

परिशिष्ट-03

आय प्रमाण पत्र हेतु शपथ-पत्र (स्वप्रमाणित)

फोटो

मैं, श्री/श्रीमती.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....
आयु-.....वर्ष, निवासी-.....
.....यह शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ:-

1. मैं उपरोक्त पते पर निवास करता/करती हूँ।
2. मेरी वर्तमान आय का श्रोत(जैसे-कृषि, व्यापार, नौकरी, मजदूरी आदि) है।
3. मेरी कुल वार्षिक आय रू0-.....(रूपयों में) है।
4. मेरे द्वारा सक्षम अधिकारी से निर्गत आय प्रमाण पत्र पंजीकरण खुलने से एक माह के अन्दर प्रस्तुत किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में मेरा आवंटन निरस्त कर दिया जाये।
5. मेरे परिवार के आय के अतिरिक्त अन्य कोई श्रोत नहीं है।
6. प्रस्तुत किया गया यह शपथ पत्र मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है। यदि यह असत्य/गलत पाया जाता है तो इसके लिए मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँ/रहूँगी।

घोषणाकर्ता

नाम-.....

दिनांक-.....

पता-.....

हस्ताक्षर-.....

सत्यापन

मैं, उपरोक्त नाम का/की अभ्यर्थी, यह सत्यापित करता/करती हूँ कि इस शपथ-पत्र की सामग्री मेरे व्यक्तिगत ज्ञान पर आधारित है और पूर्णतः सत्य है, इसमें कुछ भी असत्य नहीं है और कुछ भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

सत्यापनकर्ता

नाम-.....

दिनांक-.....

स्थान-.....

हस्ताक्षर-.....

नोट:- यह शपथ पत्र रू0-10.00 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी/मजिस्ट्रेट से सत्यापित कराकर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।